फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जग्गाराम पिता जवानाराम सालवी, निवासी बासडाई लाखागुडा, तहसील भीम जिला राजसमन्द

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 35/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक **07.10.2019** पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम द्वारा जरिये क्रमांकः भू.अ./सू.अ./2019/1476 दिनांक 27.09.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम,05 प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं0 01 से 04 के संबंध में चाही गई। सूचना का ब्यौरा का अवलोकन किया गया एवं कार्यालय कानूनगो से जानकारी प्राप्त की गयी। तहसील कार्यालय में वर्तमान बन्दोबस्त संवत 2032 की प्रथम खतौनी से रेकर्ड जमाबन्दी उपलब्ध है वर्तमान बन्दोबस्त का रेकार्ड सन् 1350 फसली मात्र मिसल बन्दोबस्त उपलब्ध है राजस्व विभागा एवं भूप्रबन्ध विभाग द्वारा संधारित रेकर्ड विक्रम संवत मे चलता है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा बिन्दु सं. 1 में 27 अप्रेल 1912 ग्राम नावरी खातेदारी नम्बर 46 खसरा न. 83 बरड नम्बरी 77 बिन्दु स.2 ग्राम नाबरी खसरा न. 25 किस्म बारानी की सन् 1912 की जमाबन्दी नकल बिन्दु स.3 मौजां नाबरी के खाता स. 185 के खसरा न. 1464–1465 किस्म बारानी 2 की जमाबन्दी विक्रम संवत 2010 से 2014 तक की चौसाला नकल बिन्दु स–4 ग्राम धवाला कला दिनांक 23.05.49 के खाता स. 07 खसरा न. 782,800,780,797,799,783,798,781 की जमाबंदी नकल विक्रम संवत 2010 से 2014 की सूचना आवेदन पत्र में अंकित की है। आवेदन पत्र में खाता स. व खसरे का अंकन किया परन्तु वर्तमान रेकर्ड (भू.माप) के खसरा न. है या गत भू माप के खसरा नम्बर है अंकन नही है जिससे	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

असमंजस पैदा होने से नकल दी जाना असम्भव है। श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रर्थी स्वयं जग्गाराम तहसील कार्यालय में उपस्थित हुआ था उससे जानकारी लेने पर वह स्वयं नही बता पाया कि उसके द्वारा आवेदन में अंकित खाता न. खसरा न. वर्तमान भू माप के है अथवा गत भू माप के। प्रार्थी को अभिकथन किया गया कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में वर्तमान खाता खसरा अंकित किये है जिनकी गत भू माप 2010–14 की खतौनी नकल चाही है अतः आवेदन पत्र के साथ मिलान क्षैत्रफल की नकल जिला कार्यालय अथवा भू प्रबन्ध विभाग से प्राप्त कर संलग्न करे ताकि उसके आधार पर अवेदित सूचना/नकलें जारी की जा सके। साथ ही तहसीलदार भीम ने विशेष कथन कर निवेदन किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा बारबार अस्पष्ट आवेदन कर एक ही प्रकार की तीसरे पक्षकरों के स्वामित्व की भूमि की सूचना मांगना सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है प्रार्थी शासन प्रशासन के काम काज कों नकारात्मक रूप से प्रभवित कर रहा है अतः प्रार्थी की अपील सारहीन होने से खारीज फरमावे साथ ही प्रार्थी को न्यायालय भी निर्देशीत करावें कि भविष्य में आवेदन में चाही जाने वाली सूचनाओं का स्पष्ट अंकन करावे।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का ब्यौरा अस्पष्ट होने से अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम द्वारा वस्तुस्थिति से पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका हैं। प्रार्थी अपीलार्थी पुर्ण स्पष्ट विवरण के साथ तहसीलदार भीम के द्वारा बताये अनुसार सर्व सम्बन्धित को आवेदन कर अनुतोष प्राप्त करें।

ऐसी स्थिति में अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)